कार्यालय आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़,

क्रमांक / आब. / स्था.(अराज.) / 2023 / 5768 नवा रायपुर, दिनांक 29 / 09 / 2023

–:: आदेश ::–

आबकारी उप निरीक्षकों के रिक्त पदों पर आयोजित सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से निम्नानुसार आबकारी आरक्षक / मुख्य आरक्षक एवं लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के चयन के फलस्वरूप आबकारी उप निरीक्षक के पद पर पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेबल–7 (5200–20200 + ग्रेड वेतन 2800) में उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनके नाम के समक्ष कॉलम नं. 04 में दर्शित कार्यालय में अस्थाई रुप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ किया जाता है :–

क्र.	नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
1	2	3	4
1	श्री कमल कुमार कोड़ोपी	संभागीय उड़नदस्ता रायपुर संभाग रायपुर	कार्यालय उपायुक्त आबकारी जिला–रायपुर
2	श्री नितेश सिंह बैस	जिला–गरियाबंद	कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी जिला–महासमुद
3	श्री राजेन्द्र कुमार देवांगन	राज्य स्तरीय उड़नदस्ता, छ.ग. रायपुर	कार्यालय उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता रायपुर संभाग रायपुर
4	श्रीमती तुलेश्वरी देवांगन	जिला–बेमेतरा	कार्यालय सहायक आयुक्त आबकारी जिला–राजनांदगांव
5	श्री योगेश मांझी	जिला–नारायणपुर	कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा
6	श्री प्रियंक ठाकुर	जिला–राजनांदगांव	कार्यालय सहायक आयुक्त आबकारी जिला–दुर्ग
7	श्री सुनील कुमार रात्रे	जिला–बिलासपुर	कार्यालय सहायक आयुक्त आबकारी जिला–जांजगीर चांपा
8	श्री आकाश कुमार साहू	जिला–जांजगीर चांपा	कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी जिला–सरगुजा
9	श्री रोशन लाल बंजारे	राज्य स्तरीय उड़नदस्ता छ.ग. रायपुर	कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी जिला–बालोद
10	श्रीमती अनामिका टोप्पो	जिला–रायपुर	कार्यालय सहायक आयुक्त आबकारी जिला–दुर्ग
11	श्रीमती अनुला झाड़े	जिला–दुर्ग	कार्यालय उपायुक्त आबकारी जिला–रायपुर
12	श्री मनोज कुमार यादव	जिला–कोण्डागांव	कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी जिला–बस्तर
13	श्री सुशील चन्द्राकर	आबकारी आयुक्त कार्यालय	राज्य स्तरीय आबकारी उड़नदस्ता, कार्यालय आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर
14	श्री जितेश नायक	संभागीय उड़नदस्ता बिलासपुर संभाग बिलासपुर	कार्यालय सहायक आयुक्त आबकारी जिला–रायगढ़
15	श्री अभिषेक कुमार राजवाड़े	जिला–सरगुजा	कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी जिला–बलरामपुर रामानुजगंज
16	श्री विरेन्द्र कुमार रात्रे	जिला–मुंगेली	कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी जिला–सूरजपुर

17	श्रीमती मोतिन बंजारे	जिला—महासमुद	कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी जिला—बलौदाबाजार भाटापारा
18	श्री अनिल कुमार झारिया	जिला—बलौदाबाजार	कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी जिला—महासमुद
19	श्री जयसिंह मरकाम	जिला—राजनांदगांव	कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी जिला—मुंगेली
20	श्री वेद प्रकाश नेताम	जिला—गरियाबंद	कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, मेसर्स वेलकम डिस्टीलरीज, छेरकाबांधा, बिलासपुर
21	श्री शिवेन्द्र सिंह मरावी	जिला—मुंगेली	कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी जिला—कोरिया
22	श्री धरम सिंह ठाकुर	जिला—बस्तर	कार्यालय उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता बस्तर संभाग जगदलपुर
23	श्री नारायण सिंह कंवर	जिला—मुगेली	कार्यालय सहायक आयुक्त आबकारी जिला—कोरबा
24	श्री जागेश्वर सिंह दाऊ	जिला—राजनांदगांव	कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी जिला—बालोद
25	श्रीमती गीतांजली तारम	जिला—राजनांदगांव	कार्यालय सहायक आयुक्त आबकारी जिला—दुर्ग
26	श्री दिनेश कुमार ध्रुव	जिला—बलौदाबाजार	कार्यालय सहायक आयुक्त आबकारी जिला—बिलासपुर

उपरोक्त कर्मचारियों की नियुक्ति निम्नलिखित शर्तो एंव निर्बंधनों के अधीन होगी :—

1/ उपरोक्त कर्मचारियों की परस्पर वरिष्ठता मुख्य चयन सूची के अनुसार रहेगी।

2/ छ.ग.सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम—8 के उपनियम 1 में संशोधन अनुसार ''किसी सेवा या पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति को प्रथमतः 03 वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

3/ नियुक्त कर्मचारियों को आदेश प्राप्त होने की तारीख से **15 दिवस** के भीतर आबकारी उप निरीक्षक के पद पर नियुक्त किये गये संबंधित जिला/कार्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य होगा अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा एवं प्रतीक्षा सूची से चयनित उम्मीदवारों को अवसर दिया जावेगा।

4/ नियुक्त कर्मचारियों को उनके उपस्थित होने पर स्वास्थ्य परीक्षण संबंधी मेडिकल रिपोर्ट उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ संबंधित जिले के अधिकारी को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। बिना चिकित्सा योग्यता प्रमाणपत्र के वेतन आहरण नही किया जायेगा तथा कार्य की गई अवधि का कोई वेतन देय नहीं होगा। मेडिकल बोर्ड द्वारा अयोग्य पाये जाने की स्थिति में अभ्यर्थी की सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जावेगी।

5/ संबंधित कर्मचारियों की सेवायें किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते की राशि का भुगतान कर समाप्त की जा सकती है।

6/ नियुक्त कर्मचारियों को पदस्थीकरण के स्थान तक जाने के लिये किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

7/ नियुक्त कर्मचारियों को शासकीय सेवा के दौरान 'छत्तीसगढ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 छत्तीसगढ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 तथा छत्तीसगढ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 इत्यादि शासकीय नियमों/निर्देशों से शासित होंगे।

8/ नियुक्त कर्मचारियों को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संलंग्न प्रारूप में एक बॉण्ड शासन के पक्ष में निष्पादित करना भी आवश्यक होगा कि वह परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण न कर पाने की दशा में परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा उस पर खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते एवं यात्रा व्यय शामिल होगा की वापसी के लिये उत्तरदायी रहेगा।

9/ नियुक्त कर्मचारियों को जब छ.ग. प्रशासन अकादमी निमोरा रायपुर में प्रशिक्षण हेतु बुलाया जायेगा तब वे अपनी उपस्थिति जिले से प्रशासन अकादमी निमोरा, रायपुर में देकर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगें।

10/ परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित प्रशिक्षण छ.ग.प्रशासन अकादमी निमोरा रायपुर में प्राप्त करना अनिवार्य होगा और प्रशिक्षण के पश्चात अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में अनिवार्यतः सम्मिलित होकर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। प्रशासन अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में प्रथम बार असफल होने पर अधिकारी को अकादमी में आगामी प्रशिक्षण में सम्मिलित होकर पुनः परीक्षा उत्तीर्ण करने के निर्देश दिये जा सकेंगें।

11/ परिवीक्षाधीन अधिकारी को परीवीक्षा अवधि में उच्च मानको द्वारा निर्धारित विभागीय परीक्षायें भी उत्तीर्ण करनी होगी। नियुक्ति प्राधिकारी पर्याप्त कारणों से 01 वर्ष से अनधिक अवधि के लिये परीवीक्षावधि को बढा सकेगा इसके उपरांत भी विहित विभागीय परीक्षायें उत्तीर्ण न करने पर सेवायें तत्काल समाप्त की जावेगी।

12/ उक्त नियुक्ति छ.ग.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, के पत्र दिनांक 03.05.2023 में उल्लेखित अनुसार उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के एस.एल.पी.(सी.) क्र. 19668/2022 में पारित अंतिम आदेश के अध्यधीन होंगी।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पद पर नियुक्ति के संबंध में आरक्षण नियमों एवं आदेशों का पालन किया गया है।

आबकारी आयुक्त
छत्तीसगढ़

पृ.क्रमांक/आब./स्था.(अराज.)/2023/5769 नवा रायपुर दिनॉक 29/09/2023

प्रतिलिपि :-

1/ विशेष सहायक माननीय मंत्रीजी छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर(आबकारी) विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर की ओर सूचनार्थ।

2/ महालेखाकार छत्तीसगढ रायपुर की ओर सूचनार्थ।

3/ महानिदेशक, छत्तीसगढ प्रशासन अकादमी निमोरा रायपुर (छ.ग.)की ओर सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

4/ सचिव छत्तीसगढ शासन, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर की ओर सूचनार्थ।

5/ कलेक्टर, जिला-... की ओर सूचनार्थ ।

6/ संचालक स्वास्थ्य सेवाएँ, छत्तीसगढ रायपुर। कृपया मेडिकल बोर्ड से उम्मीदवार का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर स्वास्थ्य योग्यता संबंधी प्रमाणपत्र उसे शीघ्र प्रदाय करें। मेडिकल बोर्ड की बैठक तिथि स्थान व समय की सूचना अभ्यर्थी को उसके वर्तमान पते पर शीघ्र सूचित करें। ताकि वह निर्धारित समय पर स्वास्थ्य परीक्षण हेतु उपस्थित हो सके।

7/ प्रभारी अधिकारी राज्य स्तरीय उडनदस्ता छ.ग. रायपुर की ओर सूचनार्थ।

8/ उपायुक्त आबकारी संभागीय उडनदस्ता रायपुर/बिलासपुर/बस्तर/दुर्ग/सरगुजा, जिला–रायपुर की ओर सूचनार्थ।

9/ सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी–जिला.. छ.ग. की ओर सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।

10/ जिला कोषालय अधिकारी–जिला.. छ.ग. की ओर सूचनार्थ।

11/संबंधित श्री/कुमारी/सुश्री ....की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

12/ गोपनीय शाखा मुख्यालय की ओर सूचनार्थ।

आबकारी आयुक्त
छत्तीसगढ़